



बिहार विकास मिशन

(मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के शासकीय अधीन)
बिहार राज्य भवन निर्माण बिगम कैम्पस,
हॉस्पिटल रोड, राजवंशी नगर, पटना-800023

दूरभाष संख्या:-0612-2285262

1284

सं० सं०- बिहारिमि०-स्था०-(विशेषज्ञों की नियुक्ति)-24/2016(खण्ड) पट्टा, दिनांक 24/12/21

-:: कार्यालय आदेश ::-

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की दिनांक-12.09.2017 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि “संविदा पर नियोजन कम से कम तीन वर्ष की हो एवं प्रत्येक 11 माह बाद नियंत्री पदाधिकारी के मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर उनके कार्यों की समीक्षा की जाय। समीक्षोपरांत संतोषप्रद कार्य एवं आवश्यकतानुसार नये सिरे से एकरारनामा निष्पादित किया जाय”।

उन कर्मियों के उपयोगिता/ आवश्यकता के मद्देनजर उनकी सेवा और 02 (दो) वर्ष अर्थात् कुल 05 (पाँच) वर्ष तक जारी रखने/ नये सिरे से नियोजन करने के बिन्दु पर शासी निकाय, बिहार विकास मिशन से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी। शासी निकाय द्वारा दिये गए निदेश के अनुपालन में दिनांक-18.04.2019 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की बैठक में उक्त प्रस्ताव समिति के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में बिहार विकास मिशन के कार्यकारी समिति की दिनांक-18.04.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-634, दिनांक-29.04.2019 के कार्यावली संख्या-06 के अनुपालन में बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश संख्या-818, दिनांक-28.05.2019 द्वारा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र हेतु संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों सहित बिहार विकास मिशन द्वारा नियोजित संविदा कर्मियों की सेवा और 02(दो) वर्ष अर्थात् कुल 05(पाँच) वर्ष तक जारी रखने/ नये सिरे से एकरारनामा करने के बिन्दु पर स्वीकृति प्रदान की गई।

वर्तमान में कुछ नियोजित कर्मियों की सेवा 05 (पाँच) वर्ष से अधिक हो चुकी है। मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक-21.12.2020 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की अष्टम बैठक की कार्यवाही के कार्यावली संख्या-28 द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के आलोक में शासी निकाय के अष्टम बैठक की कार्यवाली संख्या-04 में उक्त कर्मियों का एकरारनामा अगले और 02(दो) वर्ष अर्थात् 07 (सात) वर्ष तक जारी रखने के बिन्दु पर शासी निकाय द्वारा आगामी बैठक में प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया था। शासी निकाय द्वारा आगामी बैठक में प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया था।

शासी निकाय के आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा में बिहार विकास मिशन के नियोजित कर्मियों की सेवा 05(पाँच) वर्ष से बढ़ाकर अगले 02(दो) वर्ष अर्थात् कुल 07 (सात) वर्ष तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इन कर्मियों के कार्यों की प्रत्येक 11 माह बाद नियंत्री पदाधिकारी द्वारा समीक्षा की जायेगी एवं उनके मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुरूप सेवा जारी रखने/ नये सिरे से एकरारनामा करने के बिन्दु पर आवश्यकतानुसार बिहार विकास मिशन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

2. इसमें मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन का अनुमोदन प्राप्त है।

B23/12/21
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक:- बिनियोगी-स्थान-(विशेषज्ञों की नियुक्ति)-24/2016(खण्ड) 1284 पटना, दिनांक 24/12/21

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन-सह-मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार-सह-अध्यक्ष, उप-मिशन, बिहार विकास मिशन/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/ मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार पंसारी, भाग्यसे)

मुख्य महाप्रबंधक

ज्ञापांक:- बिनियोगी-स्थान-(विशेषज्ञों की नियुक्ति)-24/2016(खण्ड) 1284 पटना, दिनांक 24/12/21

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मुख्य महाप्रबंधक)

ज्ञापांक:- बिनियोगी-स्थान-(विशेषज्ञों की नियुक्ति)-24/2016(खण्ड) 1284 पटना, दिनांक 24/12/21

प्रतिलिपि :- सभी महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन/ बिहार विकास मिशन के सभी नियोजित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मुख्य महाप्रबंधक)

ज्ञापांक:- बिनियोगी-स्थान-(विशेषज्ञों की नियुक्ति)-24/2016(खण्ड) 1284 पटना, दिनांक 24/12/21

प्रतिलिपि :- IT Manager, बिहार विकास मिशन को बिहार विकास मिशन के Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

(मुख्य महाप्रबंधक)

11.52 A.M
24/12/21